वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-2/2017/1877/एक-5-2016-99/2015 टी0सी0

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2017**

विषयः-जनपद कुशीनगर की तहसील पडरौना के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर की तहसील पडरौना के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1463/एक-5-2008-99/2015, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-582/एक-5-2016-99/2015, दिनांक 13 जून, 2016 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 214.23 लाख अर्थात् मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-890/एक-5-2016-99/2015 टी0सी0, दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 507.98 लाख (रूपये पांच करोड़ सात लाख अठ्ठान्नबे हजार मात्र) सापेक्ष पूर्व में उपरोक्तानुसार अवमुक्त की गई धनराशि को घटाते हुए, अवशेष अन्तर की धनराशि रु0 243.75 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में **रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या-2/2017/1877(1)/एक-5-2016-99/2015 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
6- प्रबंध निदेशक, पैकफेड/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।